भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 653

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

बैंक ऋण

653. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंक ऋणों की मंजूरी के समय संस्थाओं और आम जनता से कुछ औपचारिकताएं पूरी करवाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ निजी बैंकों द्वारा आम जनता को ऋण स्वीकृत करते समय मनमाने तरीके से 5 से 10 हजार रुपये की राशि फाइल चार्ज के रूप में वसूल की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ऋण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फाइल चार्ज के रूप में एक निश्चित शुल्क सुनिश्चित कर आम आदमी को राहत देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कभी-कभी आम लोगों द्वारा ऋण लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी और प्रतियां देने के बाद भी निजी बैंक 1500 रुपये से 2000 रुपये तक दस्तावेज शुल्क के रूप में ले रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गोल्ड लोन लेते समय और गोल्ड लोन चुकाने के बाद जमा राशि वापस प्राप्त करते समय, कर्जदार को सोने की जांच और परीक्षण के लिए शुल्क का स्वयं भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त राशि को बैंकों द्वारा मनमाने ढंग से वसूल किया जाना उचित है और यदि नहीं, तो इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। ऋणों की मंजूरी के लिए, बैंक द्वारा उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ता को ऋण उत्पाद, उधारकर्ता के कार्यकलाप और ऋण के उद्देश्य के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी दस्तावेज, आस्ति और देयता विवरण, आय का प्रमाण जैसे आयकर विवरणी आदि, वित्तीय विवरण, प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित दस्तावेज जैसे बिक्री विलेख, ऋणभार प्रमाणपत्र आदि, परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, आपूर्ति का भाव और अनुमान, बाह्य रेटिंग, उधार का विवरण और विधिक अनुमोदन शामिल हैं।

(ख) से (च): बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार करना होता है और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार उचित हैं और इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में अपने दिशानिर्देशों के द्वारा, बैंकों को यह सलाह दी है कि वे ग्राहक को 'सभी लागत' सूचित करें ताकि वे वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के साथ प्रभारित दरों की तुलना कर सके। इसके अतिरिक्त, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ फाइल प्रभार, दस्तावेज प्रभार, ऋण आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए देय सोने की जांच और परीक्षण के लिए शुल्क, ऋण राशि स्वीकृत/संवितरित न होने पर वापस की जाने वाली शुल्क की राशि समय से पहले भुगतान करने का विकल्प और शुल्क, विलंबित पुनर्भुगतान के लिए जुर्माना, ऋण को निश्चित दरों से अस्थाई दरों में बदलने के लिए या इसके विपरीत के लिए रूपांतरण शुल्क, ब्याज के पुनर्निर्धारण संबंधी किसी खंड के होने और कोई अन्य मामला जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो सहित शुल्क/प्रभारों के बारे में सभी सूचनाओं का पारदर्शी रूप से खुलासा करें। सभी श्रेणियों के ऋण उत्पादों के लिए इस तरह की जानकारी बैंकों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित और अद्यतन की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रभार / शुल्क भेदभाव रहित हों।

******